



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/1789-1888 दिनांक: 01.04.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.03.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री ललित कुमार कपिल, उप सचिव एवं क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 13 में संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती **संबद्धता शाखा, मुख्यालय** में की जाती है।

बोर्ड परीक्षा-2025 की गतिविधियों के कारण, उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 31.05.2025 तक अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर पदोन्नत माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी को यह भी निदेशित किया जाता है कि वह अपने नवीन तैनाती स्थान पर दिनांक 31.05.2025 (अपराह्न) तक कार्यभार ग्रहण करे। कार्यमुक्त न होने की स्थिति में उन्हें दिनांक 31.05.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 04.04.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आई.ए.ए.ए.ए.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/2594-2693

दिनांक: 02.04.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.03.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री सचिन ठाकुर, उप सचिव, संबद्धता शाखा, मुख्यालय को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 13 में संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में की जाती है।

बोर्ड परीक्षा-2025 की गतिविधियों के कारण, उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 31.05.2025 तक अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर पदोन्नत माना जाएगा।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 07.04.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/1889-1988 दिनांक: 01.04.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.03.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित उप सचिवो (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-13 में संयुक्त सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	डॉ. प्रज्ञा वर्मा	शैक्षणिक शाखा, राउज ऐवन्यू	शैक्षणिक शाखा, राउज ऐवन्यू
2.	श्रीमती रमनदीप कौर	उत्कृष्टता केंद्र, चंडीगढ़	प्रशिक्षण शाखा, दिल्ली
3.	श्री सुभाष चन्द गर्ग	उत्कृष्टता केंद्र, दिल्ली (पूर्व)	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र (भोपाल)

उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 04.04.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 08.04.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उनके दिनांक 08.04.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


उपर्युक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार संयुक्त सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2. सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/1989-2088 दिनांक: 01.04.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.03.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अवर सचिवो को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 में उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-


क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती नूतन भल्ला	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
2.	श्रीमती संतोष देवी गर्ग	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
3.	श्रीमती संध्या त्यागी	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
4.	श्री अनिल कुमार ठाकुर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
5.	श्रीमती सुनीता रानी	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
6.	श्री विजय प्रकाश पुरोहित	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)

उपर्युक्त क्रमांक 3 पर उल्लेखित अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 04.04.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 08.04.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उनके दिनांक 08.04.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार उप सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/2089-2188 दिनांक: 01.04.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.03.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती के. गीता, सहायक सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर -11 में अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलुरु में की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 04.04.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 08.04.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उनके दिनांक 08.04.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन((An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/2694-2793

दिनांक: 02.04.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.03.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री सुरेंद्र कुमार, सहायक सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 11 में अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 07.04.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
SHIKSHA KENDRA* 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.nic.in, www.cbse-ic.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/2189-2288 दिनांक: 01.04.2025

कार्यालय आदेश


दिनांक 27.03.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 10 में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री दिलीप दास	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
2.	श्री कैलाश चंद	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
3.	श्री नारायण खुशलानी	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 04.04.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने एवं कार्यभार ग्रहण करने के लिए निदेशित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त अधिकारियों को FR 22(1)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आई.ए.ए.ए.ए.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन((An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/2289-2388 दिनांक: 01.04.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.03.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री दीवान चंद, अधीक्षक, उत्कृष्टता केंद्र, दिल्ली (पश्चिम) को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर -7 में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती **उत्कृष्टता केंद्र, पंचकुला** में की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 04.04.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 08.04.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उनके दिनांक 08.04.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/2389-2488 दिनांक: 01.04.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.03.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री कर्मवीर सिंह राणा, कनिष्ठ अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर -7 में अनुभाग अभियंता के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 04.04.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने एवं कार्यभार ग्रहण करने के लिए निदेशित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अभियंता के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/2489-2588

दिनांक: 01.04.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.03.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री हिमांशु नाथ, कनिष्ठ लेखाकार, सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर -4 में लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती सी.टी.ई.टी. एवं वित्त शाखा, मुख्यालय में की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 04.04.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने एवं कार्यभार ग्रहण करने के लिए निदेशित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त कर्मचारी को FR 22(1)(a)(1) के अनुसार लेखाकार के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उक्तृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/3028-3127 दिनांक: 17.04.2025

कार्यालय आदेश


दिनांक 27.03.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री के. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव एवं क्षेत्रीय अधिकारी, भुवनेश्वर को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 13A में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम) में की जाती है।

बोर्ड परीक्षा-2025 की गतिविधियों के कारण, उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 31.05.2025 तक अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर पदोन्नत माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी को यह भी निदेशित किया जाता है कि वह अपने नवीन तैनाती स्थान पर दिनांक 31.05.2025 (अपराह्न) तक कार्यग्रहण करे। कार्यमुक्त न होने की स्थिति में उन्हें दिनांक 31.05.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 22.04.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार क्षेत्रीय निदेशक के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(संबद्धता)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उल्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/ 3228 - 3327

दिनांक: 17.04.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 04.04.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती आई. मागरिट कैथरीन, संयुक्त सचिव (आई.टी.) को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 13A में निदेशक (आई.टी.) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती के.मा.शि.बो., मुख्यालय में की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 22.04.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार निदेशक (आई.टी.) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(संबद्धता)/(आई.टी.)/(आईएएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/4151-250 दिनांक: 22.05.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 15.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती सतपाल कौर, उप सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम) को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-13 में संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में की जाती है।

उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 26.05.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी के दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।


उपरोक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्ति फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011 22509258, 22509257 E-mail: info.cbse@gov.in website: www.cbse.gov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/4251-350 दिनांक: 22.05.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 15.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अवर सचिवों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 में उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री जे. पंकज बागे	मीडिया और जनसंपर्क शाखा, मुख्यालय	उप-क्षेत्रीय कार्यालय, ईटानगर
2.	श्री जे. सुनील कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

उपर्युक्त क्रमांक 1 पर उल्लेखित कर्मचारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 26.05.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा।

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार उप सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Digital India
POWER TO EMPOWER





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/4451-550

दिनांक: 22.05.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 15.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित सहायक सचिवों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-11 में अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री प्रशांत कुमार गोयल	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली
2.	श्री अजय कुमार माहेश्वरी	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
3.	श्री तेज कुमार वर्मा	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	उत्कृष्टता केंद्र, अजमेर
4.	श्री मनीष पांडला	भर्ती शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुड़गाँव
5.	श्री घनश्याम	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, रांची
6.	श्री प्रेम चंद शर्मा	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
7.	श्री रवि प्रकाश	उत्कृष्टता केंद्र, पटना	उत्कृष्टता केंद्र, पटना

उपर्युक्त क्रमांक 2, 4 तथा 5 पर उल्लेखित कर्मचारियों को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 26.05.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. उप सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति / पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22500258, 22500257 E-mail: info.cbse@nic.in website: www.cbse.gov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/4351-450 दिनांक: 22.05.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 15.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अवर सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 में उप सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री अभिषेक बजाज	शैक्षणिक एकक, मुख्यालय	प्रमुख, ए.सी.सी.पी.डी., रायबरेली
2.	डॉ शर्मिला देवी	उत्कृष्टता केंद्र, अजमेर (NTA में प्रतिनियुक्ति पर)	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, लखनऊ


उपर्युक्त क्रमांक 2 पर उल्लेखित कर्मचारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत बोर्ड के मुख्यालय में कार्यरत रहेंगी।

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 26.05.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा।

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।


उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार उप सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. उप सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509258, 22509257 E-mail: info.cbse@nic.in website: www.cbse.gov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/4651-750 दिनांक: 22.05.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 15.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, डॉ. स्नेहा सिंह, सहायक सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण), उत्कृष्टता केंद्र, नोएडा को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-11 में अवर सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती उत्कृष्टता केंद्र, चंडीगढ़ में प्रमुख के तौर पर की जाती है।

उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 26.05.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी के दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अवर सचिव (शैक्षणिक/कौशल शिक्षा/प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. उप सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/4551-650

दिनांक: 22.05.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 15.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री रविंदर कुमार	समन्वय शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
2.	श्रीमती रजनी मुखर्जी	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय
3.	श्रीमती लता जोशी	समन्वय शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
4.	श्री जय किशन हिरवानी	शैक्षणिक एकक, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
5.	श्रीमती अनीता आनंद	समन्वय शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
6.	श्री राजेंद्र सिंह नेगी	शैक्षणिक एकक, मुख्यालय	उप- क्षेत्रीय कार्यालय, गंगटोक
7.	श्री मदन मोहन (DOR- 30.06.2026)	गोपनीय शाखा, मुख्यालय	गोपनीय शाखा, मुख्यालय
8.	श्री रामानुज प्रसाद	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
9.	श्रीमती जुनु मनी भुयान	उत्कृष्टता केंद्र, गुवाहाटी	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय
10.	श्री विजय सिंह बिष्ट	व्यावसायिक परीक्षा शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
11.	श्री सुनील कुमार चौधरी	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, रांची
12.	श्रीमती रेनु कुमारी	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
13.	श्री नगेश्वर शर्मा	आई.टी एवं प्रोजेक्ट एकक, मुख्यालय	आई.टी एवं प्रोजेक्ट एकक, मुख्यालय
14.	श्रीमती रजनी	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
15.	श्री सुरेंद्र कुमार	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा

उपर्युक्त क्रमांक 3, 6, 8, 10 तथा 14 पर उल्लेखित कर्मचारियों को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।


उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 26.05.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.05.2025 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 30.05.2025 (अपराहन) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Digital India





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन((An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/ 4751-850 दिनांक: 22.05.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 15.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित कनिष्ठ लेखा अधिकारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 में लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	मो. मंजूर	लेखा एकक, मुख्यालय	ए.सी.सी.पी.डी., रायबरेली एवं अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
2.	श्री रमेश कुमार	लेखा एकक, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 26.05.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।


कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/ 5151-5250 दिनांक: 23.05.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 21.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अधीक्षकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	775	श्री मनीष मेहरा	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	समन्वय शाखा, मुख्यालय
2.	884	श्री जे. संतराज	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय
3.	1009	श्री चन्दन प्रसाद	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
4.	1377	श्रीमती मिनाक्षी	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
5.	975	श्री जीबा ज्योति दास	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
6.	1143	श्रीमती एस. लता	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा
7.	1145	श्रीमती अम्बिका टी.	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम
8.	1146	श्रीमती जी. संगीता	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय
9.	1142	श्रीमती एस. यासमीन	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
10.	1156	श्री चम्पक कुमार शर्मा	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, रांची
11.	1183	श्री हर्ष छाबड़ा	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय
12.	1199	श्री गगन चंद्र दास	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम
13.	1216	श्री अजय कुमार प्रजापति	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	शैक्षणिक एकक, दिल्ली
14.	1207	सुश्री जानकी (DOR: 31.03.2026)	शैक्षणिक एकक, दिल्ली	शैक्षणिक एकक, दिल्ली
15.	1210	सुश्री सुनीता रानी	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर

उपर्युक्त क्रमांक 3, 4 एवं 10 पर अंकित कर्मचारियों को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर कार्यरत रहेंगे।


उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 26.05.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 30.05.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@gov.in, website: www.cbse.gov.in




केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

वितरण:

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ए.सी.सी.पी.डी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. उप सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. संबंधित डीडीओ।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@gov.in, website: www.cbse.gov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/ 5051- 5150

दिनांक:- 23.05.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 21.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित वरिष्ठ लेखाकारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 7 में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	मो. दानिश अरमान	वित्त शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
2.	श्रीमती निधि शर्मा	वित्त शाखा, मुख्यालय	वित्त शाखा, मुख्यालय
3.	श्री पंकज	क्षेत्रीय कार्यालय, दुबई	वित्त शाखा, मुख्यालय
4.	श्री कमल कुमार	वित्त शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, दुबई
5.	श्री ज्योति प्रसाद	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

उपर्युक्त क्रमांक 5 पर अंकित कर्मचारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर कार्यरत रहेंगे।


उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 26.05.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.05.2025 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 30.05.2025 (अपराहन) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।


कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर की गई पदोन्नति अंतिम परिणाम (final outcome) के अधीन है जोकि Hon'ble CAT-PB, New Delhi के समक्ष Original Application (OA) No. 2618/2019 में लंबित है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उल्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077

Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@gov.in, website: www.cbse.gov.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/ 5251-5350 दिनांक: 23.05.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 21.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित निजी सहायकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती नेहा खेड़ा	मीडिया और जनसंपर्क शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
2.	श्रीमती मधु बाला	शैक्षणिक एकक, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
3.	श्री नरेंद्र कुमार	कौशल शिक्षा एकक, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

उपर्युक्त क्रमांक 2 एवं 3 पर अंकित कर्मचारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 26.05.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.05.2025 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 30.05.2025 (अपराहन) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ |
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो |
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएएफए) |
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली |
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी |
6. उप सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु |
7. सम्बन्धित डीडीओ |
8. सम्बन्धित व्यक्ति |
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ |
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई) |
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल |
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट |



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@gov.in, website: www.cbse.gov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/4951-5050 दिनांक: 22.05.2025


कार्यालय आदेश

दिनांक 21.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित कनिष्ठ सहायको/सहायक रिकॉर्ड कीपरो को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-4 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र.	कर्मचारी सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	910	श्री शिव कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
2.	955	श्री अशोक कुमार-III	व्यावसायिक परीक्षा शाखा, दिल्ली	व्यावसायिक परीक्षा शाखा, दिल्ली
3.	1698	श्री रोहित कुमार	समन्वय शाखा, मुख्यालय	समन्वय शाखा, मुख्यालय
4.	901	श्री मुकेश कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
5.	1314	श्री प्रेम चंद्र प्रसाद	आई.ए.एफ.ए. कार्यालय, मुख्यालय	आई.ए.एफ.ए. कार्यालय, मुख्यालय
6.	1240	श्री सुन्दर राम	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
7.	1262	श्री धर्मेन्द्र	सतर्कता शाखा, मुख्यालय	सतर्कता शाखा, मुख्यालय
8.	1433	श्री श्याम लाल	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
9.	1437	श्री लक्ष्मण सिंह	कार्मिक-ब शाखा, मुख्यालय	कार्मिक-ब शाखा, मुख्यालय
10.	1422	श्री शिव कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
11.	1606	श्री पवन कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
12.	1416	श्री चंद्र किरण	प्रशासन-II एवं III, मुख्यालय	प्रशासन-II एवं III, मुख्यालय
13.	1427	श्री रोहिताश सिंह	शैक्षणिक शाखा, दिल्ली	शैक्षणिक शाखा, दिल्ली
14.	1476	श्री हरिओम सिंह मीणा	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
15.	1702	सुश्री मनीषा अरोड़ा	भर्ती शाखा, मुख्यालय	भर्ती शाखा, मुख्यालय


उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 26.05.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने एवं कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैन फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/ 8728- 827

दिनांक: 01.09.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 20.08.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री राधा कृष्ण बलानी, अवर सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 में उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे में ही की जाती है।

उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 04.09.2025 (अपराह्न) तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने एवं कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, उनके तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार उप सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उल्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@gov.in, website: www.cbse.gov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/8828-927 दिनांक: 01.09.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 20.08.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित सहायक सचिवों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-11 में अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती एस. निर्मला	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाडा	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, तिरुवनंतपुरम
2.	श्रीमती विश्वभारती	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
3.	श्रीमती संदीपा माथुर	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
4.	श्रीमती एच. अन्नपूर्णा	उत्कृष्टता केंद्र, तिरुवनंतपुरम	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाडा
5.	श्रीमती गीता बी.	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाडा	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
6.	श्री राकेश कुमार	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
7.	श्रीमती मीनाक्षी नायर	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8.	श्रीमती उषा रघुनाथन	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाडा
9.	श्री महेश कुमार सतीजा	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
10.	श्री एम. परमासिवन (सेवानिवृत्ति:- 31.05.2026)	उत्कृष्टता केंद्र, चेन्नई	उत्कृष्टता केंद्र, चेन्नई
11.	श्री आनंद प्रकाश	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे	समन्वय शाखा, मुख्यालय
12.	श्री संदीप कुमार शर्मा	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
13.	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 04.09.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 08.09.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 08.09.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@aov.in. website: www.cbse.aov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/8928-9027

दिनांक: 01.09.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 20.08.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-


क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री मोहन आर. झरानी	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
2.	श्रीमती जतिंदर कौर (सेवानिवृत्ति: 30.09.2026)	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
3.	श्री सुनील कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
4.	श्री कोमल सिंह पिपारा	पंजीकृत कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद (01.10.2025 से प्रभावी)
5.	श्री दविंदर कुमार शर्मा	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
6.	श्रीमती सुनीता पोपली	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
7.	श्रीमती अनीता शर्मा	समन्वय शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
8.	श्री भूषण लाल	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	सहायक सचिव, शिमला (01.10.2025 से प्रभावी)
9.	श्री गोपाल कृष्ण	वित्त शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
10.	श्री प्रेम पाल	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
11.	श्री सतीश शाह	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 04.09.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 08.09.2025 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 08.09.2025 (अपराहन) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@aov.in, website: www.cbse.aov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।

विषय: शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में एसीसीपीडी के पदों पर रिक्तियों की सूचना।
शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में एसीसीपीडी के पदों पर रिक्तियों की सूचना।
शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में एसीसीपीडी के पदों पर रिक्तियों की सूचना।
शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में एसीसीपीडी के पदों पर रिक्तियों की सूचना।

शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में एसीसीपीडी के पदों पर रिक्तियों की सूचना।
शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में एसीसीपीडी के पदों पर रिक्तियों की सूचना।
शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में एसीसीपीडी के पदों पर रिक्तियों की सूचना।
शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में एसीसीपीडी के पदों पर रिक्तियों की सूचना।

शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में एसीसीपीडी के पदों पर रिक्तियों की सूचना।
शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में एसीसीपीडी के पदों पर रिक्तियों की सूचना।
शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में एसीसीपीडी के पदों पर रिक्तियों की सूचना।
शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में एसीसीपीडी के पदों पर रिक्तियों की सूचना।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@gov.in, website: www.cbse.gov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/ 9028-127 दिनांक: 01.09.2025

कार्यालय आदेश


दिनांक 26.08.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अधीक्षकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	876	श्रीमती मंजू कछावा	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद (01.10.2025 से प्रभावी)
2.	878	श्रीमती सुनीता शर्मा	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
3.	875	श्री नरेन्द्र टाक	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
4.	889	श्री हरेश कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
5.	1341	श्री अतुल बंसल	कार्मिक-ब, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
6.	1200	श्री वतन कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
7.	1190	श्रीमती बबिता निर्वाण	व्यावसायिक परीक्षा शाखा, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
8.	779	श्रीमती शर्ली कपूर	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	समन्वय शाखा, मुख्यालय
9.	1208	श्री करनैल सिंह	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, रांची
10.	1209	श्री पवन कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
11.	1215	श्री त्रिलोक सिंह मनराल	रखरखाव शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
12.	1258	श्री अंकुर वर्मा	शैक्षणिक एकक, दिल्ली (NTA में प्रतिनियुक्ति पर)	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
13.	1257	श्री मातादीन	शैक्षणिक एकक, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
14.	976	श्री कृपा शंकर तिवारी	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, रांची
15.	1085	श्री सलीम बेग	प्रशिक्षण एकक, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद (01.10.2025 से प्रभावी)
16.	903	सैय्यद बाकर अली	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु
17.	826	श्री योगेश्वर	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
18.	1316	श्री कपिल देव	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 04.09.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 08.09.2025 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 08.09.2025 (अपराहन) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो ।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएएफए) ।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली ।
5. उप सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु ।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी ।
7. सम्बन्धित डीडीओ ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति ।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई) ।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल ।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट ।

क्र.सं.	नाम	पद	पता	सं.सं.	दि.सं.
1	अध्यक्ष	के.मा.शि.बो	रायबरेली	1001	01/01/2020
2	उप सचिव	के.मा.शि.बो	रायबरेली	1002	01/01/2020
3	संयुक्त सचिव	के.मा.शि.बो	रायबरेली	1003	01/01/2020
4	विभागाध्यक्ष	के.मा.शि.बो	रायबरेली	1004	01/01/2020
5	क्षेत्रीय निदेशक	के.मा.शि.बो	रायबरेली	1005	01/01/2020
6	उत्कृष्टता केंद्र	के.मा.शि.बो	रायबरेली	1006	01/01/2020
7	एसीसीपीडी	के.मा.शि.बो	रायबरेली	1007	01/01/2020
8	कर्मचारी कल्याण संघ	के.मा.शि.बो	रायबरेली	1008	01/01/2020
9	एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई	के.मा.शि.बो	रायबरेली	1009	01/01/2020
10	व्यक्तिगत फाइल	के.मा.शि.बो	रायबरेली	1010	01/01/2020
11	स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट	के.मा.शि.बो	रायबरेली	1011	01/01/2020

केंद्र के निदेशक के माध्यम से (सी.सी.ओ. के माध्यम से) 25.05.2020 को जारी की गई थी।

आचार्य (Principal) के माध्यम से (आचार्य) 25.05.2020 को जारी की गई है।

आचार्य के माध्यम से (आचार्य) 25.05.2020 को जारी की गई है।

आचार्य के माध्यम से (आचार्य) 25.05.2020 को जारी की गई है।

केंद्र के निदेशक के माध्यम से (सी.सी.ओ. के माध्यम से) 25.05.2020 को जारी की गई थी।

आचार्य (Principal) के माध्यम से (आचार्य) 25.05.2020 को जारी की गई है।

आचार्य के माध्यम से (आचार्य) 25.05.2020 को जारी की गई है।

आचार्य के माध्यम से (आचार्य) 25.05.2020 को जारी की गई है।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/9228-327


दिनांक: 01.09.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 26.08.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती गीता शर्मा, निजी सहायक, समन्वय शाखा, मुख्यालय को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा में की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक 04.09.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 08.09.2025 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारी के दिनांक 08.09.2025 (अपराहन) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त कर्मचारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@gov.in, website: www.cbse.gov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/9128-227 दिनांक: 09.09.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 26.08.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती नेहा शुक्ला	शैक्षणिक एकक, दिल्ली	हिंदी प्रकोष्ठ, मुख्यालय
2.	श्रीमती विजेता भारद्वाज	हिंदी प्रकोष्ठ, मुख्यालय	शैक्षणिक एकक, दिल्ली

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 04.09.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 08.09.2025 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 08.09.2025 (अपराहन) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@gov.in, website: www.cbse.gov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/9328-427

दिनांक: 09.09.2025

कार्यालय आदेश


दिनांक 26.08.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित वरिष्ठ सहायको को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-6 में अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	870	श्री अशोक कुमार-1	आर. एंड आई. शाखा, मुख्यालय	आर. एंड आई. शाखा, मुख्यालय
2.	1158	श्री जुबैर अहमद	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
3.	1164	श्री कृष्ण कुमार	समन्वय शाखा, मुख्यालय	समन्वय शाखा, मुख्यालय
4.	1160	श्री भूपेंद्र कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
5.	1162	श्री रामेश्वर मांझी	कौशल शिक्षा शाखा, मुख्यालय	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली
6.	1165	श्री नरेश कुमार	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली	कौशल शिक्षा शाखा, मुख्यालय

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 04.09.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 08.09.2025 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 08.09.2025 (अपराहन) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनीय है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी कर्मचारी समूह 'अ' से समूह 'ब' में अधीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।


(हिमांशु गुप्ता) 119
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आई.ए.ए.ए.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैन फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@aov.in, website: www.cbse.aov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/ 9428-527

दिनांक: 01.09.2025


कार्यालय आदेश

दिनांक 26.08.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-4 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री टी. अरुण पांडियान	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
2.	श्रीमती स्मृति श्रीवास्तव	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 04.09.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने एवं कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त कर्मचारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@aov.in, website: www.cbse.gov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/1014113

दिनांक: 09.12.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 03.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित उप सचिवों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-13 में संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री राजेश सेठी (सेवानिवृत्ति: 31.12.2026)	व्यावसायिक परीक्षा शाखा, दिल्ली	व्यावसायिक परीक्षा शाखा, दिल्ली
2.	श्री संजय कुमार	कार्यालय अध्यक्ष, के.मा.शि.बो.	कार्यालय अध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
3.	श्री शेखर चंद्रा	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय
4.	श्री दिनेश राम	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)


उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 11.12.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति तथा कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आई.ए.ए.एफ)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ उप-क्षेत्रीय कार्यालय/ एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077

Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@aov.in, website: www.cbse.aov.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
No. CBSE/Rectt.Cell/1(13)/2025 /513-612 Dated: 09.12.2025

OFFICE ORDER

Consequent upon the recommendations of Departmental Promotion Committee meeting held on 03.12.2025 and subsequent approval by the Competent Authority of the Board, Dr. Manjit Singh, Assistant Professor & Joint Director (Academics/Skill Education/Training), Academics Unit, Delhi is hereby promoted to the post of Associate Professor & Additional Director (Academics/Skill Education/Training) in Pay Level-13 of 7th CPC and is retained at Academics Unit, Delhi to look after the same assignments.

The above officer is directed to give his consent and joining report to Joint Secretary (A&L) by 11.12.2025. The promotion shall be effective from the date of joining at his new place of posting. The posting made on promotion is final and non-changeable; therefore, no representation regarding change of place of posting shall be entertained.

The above officer is also directed to furnish his option towards fixation of pay on the post of Associate Professor & Additional Director (Academics/Skill Education/Training) on promotion within one month from the date of their joining on the post in accordance to FR 22(I)(a)(1).

(Himanshu Gupta)
Secretary

Distribution:-

1. Deputy Secretary to Chairman, CBSE for kind information of the Chairman, CBSE.
2. All Heads of Departments/Regional Directors of the Board.
3. Joint Secretary (A&L)/(Affiliation)/(Coordination)/(IT)/AIAFA.
4. All the Regional Officers/Head of CoEs of the Board/Sub Regional Officers/ACCPD, Raebareli.
5. Deputy Secretary (IT), Headquarters – for updation in eHRMS.
6. All officers of the Board upto the level of Section Officer.
7. DDO concerned.
8. Individual concerned.
9. President, Shiksha Board Staff Welfare Association.
10. DA (APAR/Vig./GSLI).
11. Personal file of the incumbents.
12. Hindi Cell, CBSE, Headquarter for Hindi Translation.
13. Scrap file/Guard File/Notice Board.



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@aov.in. website: www.cbse.aov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/613-713 दिनांक: 09.12.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 03.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अवर सचिवों (आई.टी.) को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 में उप सचिव (आई.टी.) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	मो. फ़िदा हुसैन	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली
2.	श्री प्रसाद रंजीत लेख राज	प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक परीक्षा शाखा, दिल्ली	प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक परीक्षा शाखा, दिल्ली

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 11.12.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति तथा कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार उप सचिव (आई.टी.) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ उप-क्षेत्रीय कार्यालय/ एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077

Phone: 011-22509256. 22509257 E-mail: info.cbse@aov.in. website: www.cbse.aov.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/814-913 दिनांक: 09.12.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 03.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित सहायक सचिवों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-11 में अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री हरप्रीत सिंह	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
2.	श्रीमती ममेंद्र	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
3.	श्रीमती रेनू भंडारी	मीडिया एवं जन-संपर्क शाखा, मुख्यालय	मीडिया एवं जन-संपर्क शाखा, मुख्यालय
4.	श्री अजय कुमार घेवड़े	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
5.	श्री कुलदीप सिंह	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
6.	श्री दिलीप दास	उप- क्षेत्रीय कार्यालय, अगरतला	उप- क्षेत्रीय कार्यालय, अगरतला

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 11.12.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति तथा कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ उप-क्षेत्रीय कार्यालय/ एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@gov.in. website: www.cbse.gov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/914-1013 दिनांक: 09.12.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 03.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री प्रवीण कुमार भसीन	उत्कृष्टता केंद्र, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
2.	श्री हरि कृष्ण	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
3.	कु. सीमा	शैक्षणिक शाखा, मुख्यालय	शैक्षणिक शाखा, मुख्यालय
4.	श्री अमित कुमार गुप्ता	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता
5.	श्री पंकज शर्मा	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
6.	श्री राजेश कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय
7.	श्री जय प्रकाश शर्मा	भर्ती शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद
8.	श्री चन्दन कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
9.	मो. हैदर मेहंदी	उत्कृष्टता केंद्र, प्रयागराज	उत्कृष्टता केंद्र, प्रयागराज
10.	श्री नितिन पांडला	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
11.	श्रीमती दपिंदर कौर	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
12.	श्री आदित्य कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
13.	श्रीमती प्रियंका कपूर	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय (प्रतिनियुक्ति पर)	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
14.	श्री राहुल टिकी	सतर्कता शाखा, मुख्यालय	उत्कृष्टता केंद्र, चेन्नई
15.	श्री मनोज कुमार गोहिल	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता
16.	श्री हरि कमल	क्षेत्रीय कार्यालय, दुबई	क्षेत्रीय कार्यालय, दुबई

क्रम संख्या 4 तथा 15 पर उल्लेखित अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के कार्यशील होने तक क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में तैनात रहेंगे।

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 11.12.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 16.12.2025 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 16.12.2025 (अपराहन) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ |
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो |
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएएफए) |
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ उप-क्षेत्रीय कार्यालय/ एसीसीपीडी, रायबरेली |
5. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु |
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी |
7. सम्बन्धित डीडीओ |
8. सम्बन्धित व्यक्ति |
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ |
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई) |
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल |
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट |



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/1314-1413

दिनांक: 09.12.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 04.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अधीक्षकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	584	श्री डी सुधाकर प्रकासम	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद
2.	547	श्री राम कुमार सिंह	व्यावसायिक परीक्षा शाखा, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
3.	541	श्री राजेंद्र सिंह रावत	आर. एंड आई, मुख्यालय	आर. एंड आई, मुख्यालय
4.	1287	सुश्री निर्मल राय	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
5.	1286	श्रीमती दीपा भगत	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
6.	1285	श्रीमती शिवानी	कार्मिक-ब, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
7.	1284	श्रीमती अमरीन	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
8.	679	श्री राज कुमार धवन	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
9.	916	श्री विनोद कुमार-II	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता
10.	948	श्री खीम बहादुर थापा	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
11.	1041	श्री नरेश चंद	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
12.	911	श्री प्रवीण कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

क्रम संख्या 9 तथा 12 पर उल्लेखित कर्मचारी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के कार्यशील होने तक क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में तैनात रहेंगे।

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 11.12.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 16.12.2025 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 16.12.2025 (अपराहन) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ उप-क्षेत्रीय कार्यालय/ एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/1114-1213

दिनांक: 09.12.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 04.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित निजी सहायकों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	मो. ज़ैद अंसारी	ए.सी.सी.पी.डी., रायबरेली	शैक्षणिक शाखा, मुख्यालय
2.	श्रीमती निधि	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय (प्रतिनियुक्ति पर)	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 11.12.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 16.12.2025 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 16.12.2025 (अपराहन) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ उप-क्षेत्रीय कार्यालय/ एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैन फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@aov.in. website: www.cbse.aov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/1214-1313 दिनांक: 09.12.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 04.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती सपना गोयल, वरिष्ठ लेखाकार को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे में की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक 11.12.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 16.12.2025 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारी के दिनांक 16.12.2025 (अपराहन) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त कर्मचारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर की गई पदोन्नति अंतिम परिणाम (final outcome) के अधीन है जोकि Hon'ble CAT-PB, New Delhi के समक्ष लंबित Original Application (OA) No. 2618/2019 में पारित किया जाएगा।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ उप-क्षेत्रीय कार्यालय/ एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@aov.in. website: www.cbse.aov.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2025/413-512 दिनांक: 09.12.2025

कार्यालय आदेश

दिनांक 04.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-4 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती निशा रानी	प्रशिक्षण शाखा, दिल्ली	शैक्षणिक शाखा, दिल्ली
2.	सुश्री नेहा प्रभाकर	शैक्षणिक शाखा, दिल्ली	प्रशिक्षण शाखा, दिल्ली
3.	श्री आशीष कुमार बारा	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
4.	श्रीमती पी. कमला देवी	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 11.12.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 16.12.2025 (अपराहन) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 16.12.2025 (अपराहन) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।


उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ उप-क्षेत्रीय कार्यालय/ एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. उप सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका नई दिल्ली - 110077
INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, DELHI - 110077



Phone: 011-22509256, 22509257 E-mail: info.cbse@aov.in, website: www.cbse.aov.in